श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांकः 2/1/अन्वे./पांच/2015/ 36423-672, इन्दौर, दिनांक 29-9-2020

अधिसूचना

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सह पठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16–ए/82 दिनांक 25.5.1982 के अनुसरण में, मैं आशुतोष अवस्थी, श्रमायुक्त म.प्र. ऐतद् द्वारा अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया। जनवरी 2020 से जून 2020 तक के माहों के लिये निम्नानुसार घोषित करता हूँ:–

माह/वर्ष 2020	अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100)
जनवरी	1016
फरवरी	1010
मार्च	1007
अप्रैल	1014
मई	1019
जून	1018
औसत सूचकांक	**6084÷6=** 1014

तथा इनका औसत 1014 घोषित करता हूं। जो कि परिशिष्टित नियोजन के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट आफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसमें कि श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (बी)–1–2014–ए–सोलह दिनांक 4.3.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014) द्वारा 01 10.2020 से 31.03.2021 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

29/9/2020

(आशुतोष अवस्थी)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये 01/10/2020 से 31/03/2021 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना कमांक एफ–4(बी)/1–2014–ए सोलह दिनांक 4.3.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना कमांक 2/11/अन्वे./पांच./2015/ 36423-672 दिनांक 29-9-2020 के अनुसार कृषि नियोजन में जनवरी 2020 से जून 2020 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1014 रहा है। छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 983 के ऊपर (1014–983)=31 बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप कृषि नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 6/– बिन्दु प्रतिमाह के मान से (31X6) =186.00 रूपये प्रति माह की वृद्धि हुई है। तद्नुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986–87=100)के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य में वृद्धि (1014–768)=246 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये (246X6)=1476.00 प्रतिमाह या प्रतिदिन (1476÷30)=49.20 यानी प्रतिमाह मंहगाई भत्ते सहित देय वेतन 5350+1476=6826.00 तथा 6876÷30 रूपये 227.53 प्रतिदिन (30 दिन के मान से) दिनांक1.10.2020 से 31.03.2021 तक देय है ।(अनुसूचि द)

अनुसूची – द

कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकडे रूपयों में)

न्यूनतम वेतन की दरें		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप मर दैनिक दरे	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 1.04.2020 से 30.09.2020 तक								1.10.2020 से 31.03.2021 तक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5350.00	178.33	1290.00	43.00	6640.00	221.33	221.00	अकुशल कृषि श्रमिक	5350.00	178.33	1476.00	49.20	6826.00	227.53	228.00

स्पष्टीकरण– परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता :–

(1) न्यूनतम वेतन की दरे तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, जो लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मुल्य सूचकांक 768 (1986–87=100) जनवरी से जून, 2014 के आधार आंकड़ो के औसत के उपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृद्धि के अनुपात में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 06 रूपये (छः रूपये) के मान से देय होगा। 01 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जावेगी।

(2) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांको को राऊण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9–7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर,2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चत्तर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

(3) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।

(4) अधिसूवित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रर्वतन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकुल पभाव नही डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर से अधिक है , तो वह किसी भी दशा में कम नही की जावेगी।(न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा, 1948 की धारा (1–ए))

(5) इस अधिसूचना के अन्तर्गत वेतन दरे महिला एवं पुरूषों के`लिए एक समान नियत है।

(6) कृषिनियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित की न्यूनतम वेतन दरों में न्यूनतमत मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख)के अधीन परिकलिपित किशे अपुसार विश्राम दिवय के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलिति है।

(आशुतोष अवस्थी) 29/9/2020
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर